फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,पाली

गनीखान

बनाम

बलवंतसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट

न. 12 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.02.2023	पत्रावली बाद जांच होकर पेश हुई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण उक्त अपील प्रथम लिंक अधिकारी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष आज पेश हुई। उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा मुकदमा संख्या 94/2022 बउनवान बलवंतसिंह बनाम कैलाशकंवर मे पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 के विरुद्ध पेश हुई। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करने हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 16 के विरूद्ध के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 07, 08, 11 एवं 12 से बतौर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है। अपीलांट द्वारा रजिस्टर्ड बेचान के जरिये वादग्रस्त आराजी का 2/3 हिस्सा खरीद किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना जैर अपील आदेश पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी खरीदशुदा आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 16 के विरूद्ध के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 21.12.2022 को जैर अपील अंतरिम व्यादेश पारित किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 17.01.2023 नियत की गई। उसके पश्चात आगामी पेशी दिनांक 17.01.2023 को आदेशिका के अन्तर्गत "पीठासीन अधिकारी आज अन्य मुकदमात मे व्यस्त होने के कारण प्रकरण का अवलोकन नही कर पाये,	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आईन्दा पत्रावली दिनांक 20.01.2023 को पेश हो" का अंकन किया गया। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर अपील आदेश एक अंतरिम व्यादेश है हस्तगत प्रकरण के साथ अपीलांट अधिवक्ता द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के संबध मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय –पत्र क्रय की गई है। जिसके फलस्वरूप अपीलांट का वादग्रस्त आराजी मे हक–अधिकार निहित होता है। जिससे वादग्रस्त आराजी के संबध मे अपीलांट को सुना जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अत प्रकरण मे अंतरिम व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा मुकदमा संख्या 94/2022 बउनवान बलवंतसिंह बनाम कैलाशकंवर मे पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण से संबधित मूल प्रार्थना पत्र आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एंव वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल आदेश उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। अपीलांट उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है। अत अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे आपके न्यायालय मे विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अपीलांटगण एवं अन्य समस्त पक्षकारो को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए 02 माह मे विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	